न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– राजेन्द्र कुमार–।।, उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

राजस्व वाद संख्या 72/2020

सरस्वती देवी पत्नी मांगेराम जाति हरीजन निवासी गंगानगर हाल वार्ड नं. 07 अम्बेडकर कॉलोनी बीकानेर जरिये मुख्त्यारेआम सरला चौधरी पुत्री मांगेराम पत्नी देवेन्द्रपाल चौधरी निवासी वार्ड नं. 35 हिंडौन मार्ग, सवाईमाधोपुर गंगापुर।

–वादीगण–

बनाम

1. धना पुत्र भैरा जाति मेघवंशी निवासी महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. रूकमादेवी पत्नी अर्जन
3. सन्तोष
4. प्रेमकुमार
5. रामकुमार
6. सुमित्रा

} पि0 अर्जन जाति मेघवंशी निवासीगण महाजन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 श्री रामकरण मूंड वादी की ओर से
2 पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :–

दिनांक :–16.01.2023

प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी ने रोही मौजा महाजन के पुराना खसरा नम्बर 734 की तादादी 16.06 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 21.10.1970 को आसू पुत्र नानु जाति मेघवाल निवासी महाजन से खरीद की हुई हैं। मौका पर वादीनी का कब्जा काश्त हैं। वादगत भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त भूमि हैं। वादीनी का बैयनामा का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। [illegible] मैरा आसु पि0 नानु व्यक्ति मेघवंशी निवासी महाजन के नाम खसरा नम्बर [illegible] 16.06 बीघा भूमि , खसरा नम्बर 496 की तादादी 16.06 बीघा कुल तादादी [illegible].12 बीघा भैरा आसु पि0 नानु के नाम खतौनी बंदोबस्त दर्ज है जिसके नये खसरा नम्बर 1314 तादादी 0.40 हैक्टेयर गै0मु0 सडक खसरा नम्बर 1315 तादादी 1.85 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1333 तादादी 1.87 है0 खसरा नम्बर 1522 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल 8.18 हैक्टेयर जो विक्रेता के नाम से संयुक्त खाता धना वगैराह के नाम दर्ज रि[illegible] है लेकिन भू–प्रबन्धके बाद राजस्व रिकार्ड में आसू का नाम आसा व आसु के पिता का नाम नानु के स्थान पर भानु सहवन से दर्ज कर दिया गया जो लिपिकीय भूल है जिसे आसा के स्थान पर आसू व पिता का नाम भानु के स्थान पर नानु दुरूस्त करवाने की वादीनी हकदार है जिसके लिए यह दावा पेश है अतः वाद वादीनी स्वीकार फरमाई जाकर दुरूस्ती की घोषणा फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra
Date: 2023.01.27 11:12:57 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वाद दायर रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादीगण पर समन स्वयं पर तामल होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब दावा के अभाव में तनकीयात कायम नहीं की जाकर वादीनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। वादीनी की ओर से वाद पत्र के संलग्न फार्म न03 में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 ग्राम महाजन, मिलान क्षेत्रफल रोही महाजन पुराने खसरा नम्बर 734,496, भूप्रबन्ध विभाग की खतोनी संख्या 2024 खाता संख्या 853 व ख.नं. 734 रोही महाजन पेश की।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए पुनः कथन किया कि वादीनी ने रोही मौजा महाजन के खसरा नम्बर 734 की 16.06 बीघा भूमि जरिये बैयनामा 1970 में क्रय की थी जिसमें विक्रेता आसु पुत्र नानु जाति मेघवंशी निवासी महाजन से खरीद की। पुराने खसरा नम्बर 734 की संयुक्त खाता की भूमि खसरा नम्बर 734 तादादी 16.06 बीघा जो क्रयशुदा जिसके संयुक्त खाता धन्ना अर्जन पि0 भैरा आसा वल्द भानु दर्ज हो गया है जिसके कारण वादी की की क्रयशुदा भूमि नामान्तरण आज तक वादीनी के नाम दर्ज नहीं हुआ हैं। उक्त लिपिकीय भूल के कारण नामान्तकरण दर्ज करववाने हेतु विक्रेता का नाम आसा के स्थान पर आसू व पिता का नाम भानु की जगह नानु की दुरूस्ती की घोषणा फरमाई जावे। पैरोकारराज ने अपनी बहस में कथन किया आसा की जगह आसू व भानु की जगह नानु किये जाने में दावा साबित होने पर रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा में स्टेट को कोई एतराज नहीं हैं।

हमने बहस का मनन किया । प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। रोही ग्राम महाजन के बंदोबस्ती खसरा नम्बर 734 में विक्रेता का नाम आसु वल्द नानु दर्ज था । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्बरान में रिकार्ड तैयार करते समय विक्रेता आसू के स्थान पर आसा व पिता का नाम नानु के स्थान भानु अंकित हो गया जो लिपिकिय भूल का परिणाम है जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित होता हैं। अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वर्तमान रिकार्ड में रोही महाजन के खसरा नम्बर 1314 तादादी 0.40 हैक्टेयर गै0मु0 सडक खसरा नम्बर 1315 में तादादी 1.85 हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 1333 तादादी 1.87 खसरा नम्बर 1522 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल 8.18 हैक्टेयर जो वर्तमान रिकार्ड में संयुक्त खात धन्ना वगैराह में संयुक्त खाता में आसा के स्थान पर आसू व पिता का नाम भानु के स्थान पर नानू दुरूस्ती की घोषणा की जाती है तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होरक हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kum
Date: 2023.01.27 11:12:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : अशोक कुमार, **आरएएस**

सरस्वती देवी **बनाम** धना आदि

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 72 /2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण वकील श्री रामकरण मूंड,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीया स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वर्तमान रिकार्ड में रोही महाजन के खसरा नम्बर 1314 तादादी 0.40 हैक्टेयर गै0मु0 सडक खसरा नम्बर 1315 में तादादी 1.85 हैक्टेयर खसरा नम्ब्र 1333 तादादी 1.87 खसरा नम्बर 1522 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल 8.18 हैक्टेयर जो वर्तमान रिकार्ड में संयुक्त खात धन्ना वगैराह में संयुक्त खाता में आसा के स्थान पर आसू व पिता का नाम भानु के स्थान पर नानू दुरूस्ती की घोषणा की जाती है । तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें।

नीज .....- .....मुबलिक .....- .....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... -..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .....-..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.01.2023 को न्यायालय में डिक्री जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार–II)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:57 IST
Reason: SelfAttested